रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED NO. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1980/आश्विन 5, 1902
No. 187] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1980/ASVINA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1980

सं० फा० 6(19)80/-आई०सी० :—सरकार की यह नीति है कि संविधान के अनुच्छेद 39-क द्वारा जैसी परिकल्पना की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, नि.शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध की जाए।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एकरूप आधार पर उपयुक्त और गतिशील विधिक सहायता कार्यक्रम स्थापित करने की दृष्टि से एक व्यापक और गत्यात्मक विधिक सेवा कार्यक्रम स्थापित करने से संबंधित सभी प्रश्नों की समीक्षा करने और उसके लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए मई, 1976 में एक समिति गठित की गई थी (जिसे इसमें आगे भगवती समिति कहा गया है) जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी०एन भगवती और सदस्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री वी०आर० कृष्ण अय्यर थे।

भगवती समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशें करने के पश्चात् यह महसूस किया कि व्यापक विधिक सहायता कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए अनेक अध्ययन करने होंगे और यह कि विधिक सहायता कार्यक्रमों का एक उपयुक्त चित्र तैयार करने के लिए ज्ञान की अनेक शाखाओं में समन्वय स्थापित करना होगा;

ऐसे अध्ययनों और समन्वय के प्रयोजन के लिए स्थापित अन्तर विभागीय समिति ने भगवती समिति की रिपोर्ट में की गई ऐसी सिफारिशों की समीक्षा का कार्य पूरा कर लिया है,

अनेक राज्यों ने स्वयं अपनी प्रेरणा से विधिक सहायता कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए हैं,

सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि देश में व्यापक विधिक सहायता स्कीमें अविलम्ब तैयार और क्रियान्वित की जाएं,

अतः केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा विधिक सहायता स्कीम क्रियान्वयन समिति नामक एक समिति गठित करती है।

2. इस समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(1) न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती	अध्यक्ष
(2) न्यायमूर्ति श्री एम० आर० शर्मा, न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।	सदस्य
(3) सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(4) श्री सुबल राय चौधरी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता	सदस्य
(5) प्रो० एन० आर० माधव मेनन, विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय।	सदस्य
(6) श्रीमती विमला नागी, समाज सेविका, दिल्ली	सदस्य

3. इस समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे

(1) भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों के कार्यकरण का ध्यान में रखकर, व्यापक विधिक सहायता स्कीमों को विस्तृत रूप में तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना।

(2) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में विधिक सहायता और सलाह की स्कीम को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से मानीटर करना कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के एक साधन के रूप में उनका कार्य प्रभावी रूप से चले।

(3) ऐसी कार्रवाई करना या उनकी सिफारिश करना जो विधिक सहायता स्कीमों के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

(4) विधिक सहायता से संबंधित ऐसे विषयों पर जो केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री उसे समय-समय पर निर्देशित करें, विचार करना और उनके संबंध में रिपोर्ट देना या उनके बारे में आवश्यक कार्रवाई करना।

4. समिति का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और उसकी बैठक दिल्ली में या देश के ऐसे अन्य स्थानों पर जो समिति ठीक समझे उतनी बार होगी जितनी बार आवश्यक समझी जाएं।

5 समिति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अपने कार्य के प्रयोजन के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से एक या अधिक व्यक्तियों को सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगा।

6. समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करेगी। जहां अध्यक्ष मितव्ययिता के हित में या समिति के किसी कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए या किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक समझते हैं वहां वह या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत समिति का कोई अन्य सदस्य एकल रूप से कार्य करते हुए, समिति के किसी कार्य को कर सकेगा।

7. समिति का गठन प्रथम तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है और यह अपनी प्रथम रिपोर्ट अपनी प्रथम बैठक से छह मास की अवधि के भीतर देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों प्रशासनों आदि को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी०वी० वेंकटासुब्रह्मण्यम, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th September, 1980

No.F.6(19)/80—IC.—Whereas it is the policy of Government to provide free legal aid to ensure, as envisaged by article 39A of the Constitution, that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities;

And whereas with a view to establishing an adequate and vigorous legal aid programme on an uniform basis in all the States and Union Territories, a Committee (hereinafter referred to as the Bhagwati Committee), consisting of Shri Justice P. N. Bhagwati, Judge of the Supreme Court, as Chairman and Shri Justice V R. Krishna Iyer, Judge of the Supreme Court, as Member, was constituted in May, 1976 to examine all questions and make appropriate recommendations for establishing and operating a comprehensive and dynamic legal services programme;

And whereas the Bhagwati Committee, after making various recommendations in their Report, felt that many studies would have to be undertaken for formulating comprehensive legal aid programmes and that many departments of knowledge would have to be co-ordinated for drawing up a suitable picture of legal aid programmes;

And whereas an Inter-departmental committee set up for the purposes of such studies and co-ordination has completed its examination of the recommendations made in the report of the Bhagwati Committee;

And whereas several States have already embarked upon legal aid programmes on their own,

And whereas Government is anxious that comprehensive legal aid schemes should be formulated and implemented in the country without delay,

Now, therefore, the Central Government hereby constitutes a Committee, to be known as the Committee for Implementing Legal Aid Schemes.

2 The Committee shall consist of.—

(1) Justice P N Bhagwati
Judge of the Supreme Court of India —Chairman

(2) Justice M. R. Sharma
Judge of the Punjab & Haryana High Court —Member

(3) Secretary (Expenditure)
Ministry of Finance, Govt. of India —Member

(4) Shri Subroto Roy Chowdhry
Senior Advocate, Calcutta —Member

(5) Prof. N. R. Madhava Menon
Faculty of Law, Delhi University —Member

(6) Smt. Vimla Nagi
Social Worker, Delhi —Member

3. The functions of the Committee shall be the following:—

(1) to formulate in detail and to implement comprehensive legal aid schemes after taking into account the working of the various legal aid schemes in different States,

(2) to monitor the scheme for legal aid and advice in the States and Union Territories with a view to ensuring their effective functioning as a means of securing social justice;

(3) to take or recommend such other steps as are necessary to secure proper working of the legal aid schemes,

(4) to consider and report on, or take necessary action with respect to, such matters pertaining to legal aid as the Union Minister of Law, Justice and Company Affairs may refer to it from time to time;

4. The Committee will have its headquarters at Delhi and may meet as often as considered necessary at Delhi or at such other places in the country as the Committee may deem fit.

5. The Committee may for the purpose of its work with respect to any State or Union Territory co-opt. one or more persons as Members or Member from that State or Union Territory.

6. The Committee shall evolve its own procedure. Where the Chairman considers it necessary so to do in the interest of economy or for the expeditious disposal of any business of the Committee or for any other reason, he, or any other Member of the Committee authorised by him in writing in this behalf, may, acting singly, attend to any work of the Committee.

7. The Committee is constituted for three years in the first instance and shall submit its first report within a period of six months from the date of its first meeting.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments and Union Territory Administrations, etc.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. B. VENKATASUBRAMANIAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980